संख्या -**02 /2018/3002/46-3-17-3(57)/2017**

प्रेषक

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, **2018**

विषय- गन्ना पेराई सत्र के दौरान गन्ना माफियाओं द्वारा की जाने वाली गन्ने की अवैध खरीद-फरोख्त को रोके जाने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण व कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि वर्तमान में पेराई सत्र 2017-18 चल रहा है तथा चीनी मिलों द्वारा मिल का संचालन एवं गन्ना पेराई का कार्य किया जा रहा है। सत्र के दौरान चीनी मिलों के साथ-साथ क्षेत्र में स्थापित कोल्हू क्रेशर भी गुड़/खाण्डसारी उत्पादन हेतु गन्ने की खरीद करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु इनके अतिरिक्त कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय गन्ना माफियाओं के द्वारा अवैधानिक रूप से गन्ने की खरीद-फरोख्त की जाती है जिससे न केवल शासन/ गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा नियमबद्ध गन्ना खरीद की व्यवस्था खण्डित होती है, वरन् गन्ना किसानों को अपना गन्ना इन माफियाओं को औने-पौने दाम में बेचने हेतु मजबूर होना पड़ता है। इससे सीधे-सादे किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है और सरकार की छवि भी प्रभावित होती है। अवैध गन्ना खरीद एवं दूसरे चीनी मिल क्षेत्रों से गन्ना पोचिंग की प्रवृत्ति के कारण कतिपय चीनी मिलों की संलिप्तता भी हो जाने पर इन गन्ना माफियाओं की गतिविधियां और भी बढ़ जाती है, जो शान्तिपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनती है। अतः ऐसे मामलों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि अवैध गन्ना खरीद में लिप्त माफियाओं के विरूद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनकी अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

2- अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र के दौरान गन्ने की अवैध खरीद-फरोख्त को रोके जाने एवं गन्ना माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ही साथ उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में दिये जा रहे अधोलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार **जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी** तथा जिला प्रशासन एवं गन्ना विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों के स्तरों से समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः-

(1) अपने जनपद/परिक्षेत्र के चीनी मिल/गन्ना क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे गन्ना माफियाओं द्वारा किसी क्षेत्र में गन्ने की अवैध खरीद तो नहीं की जा रही है अथवा किसी चीनी मिल को आवंटित क्षेत्र से गन्ने की पोचिंग कर दूसरी चीनी मिल को अनुचित रूप से आपूर्ति तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसे गन्ना माफियाओं द्वारा अवैध कांटे संचालित करने अथवा गन्ने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की अवैध खरीद किये जाने की स्थिति प्रकाश में आती है तो उसकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी तत्काल कराई जाए और संलिप्त माफियाओं को चिन्हित किया जाए। तदोपरान्त इन गन्ना माफियाओं के विरूद्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (गुण्डा एक्ट) एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। यदि ऐसे प्रकरणों में किसी चीनी मिल प्रबन्धन की भूमिका भी परिलक्षित होती है तो विधिक कार्यवाही में उन्हें भी शामिल कर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(2) उपर्युक्त कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित गन्ना माफियाओं के नाम सहित सम्पूर्ण साक्ष्य यथा- वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्थलीय गवाह, अभिलेखीय साक्ष्य आदि का विवरण, राजस्व प्रशासन एवं गन्ना विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से भी, सम्बन्धित जनपद के **जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी** के संज्ञान में लाते हुए, ऐसे प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिससे कि ऐसे गन्ना माफियाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (गुण्डा एक्ट) एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (रासुका) के अन्तर्गत भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके, उन्हें तीन माह के लिए निरूद्ध कराने की कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

(3) गन्ना माफियाओं को साक्ष्य सहित पकड़े जाने व उपरोक्तानुसार कार्यवाही जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा गन्ना विभाग के जिला गन्ना अधिकारियों के स्तर से उचित समन्वय व सम्पर्क स्थापित करके, संबंधित जनपद के **जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी** के माध्यम से उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

(4) यदि स्थानीय स्तर पर ससमय प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है और इसकी शिकायत शासन तथा गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ (मुख्यालय) स्तर पर प्राप्त होती है अथवा ऐसे प्रकरण गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ (मुख्यालय) के स्तर से गठित/निर्देशित जांच दल के भ्रमण में प्रकाश में आते हैं तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या - 02 /2018/3002(1)/46-3-17-3(57)/2017, तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों से गन्ना एवं चीनी विभाग के सभी अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करायें एवं इस आदेश/निर्देश को गन्ना विभाग की विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर अपलोड/प्रचार -प्रसार भी कराने तथा उक्त दिशा-निर्देशों से प्रदेश समस्त चीनी मिलों को अनुपालन हेतु अपने स्तर से संसूचित/उपलब्ध भी कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

5- समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

8- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।